न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 461/2019/223 (2019/00461)

1. लाली पुत्री स्व0 जगन्नाथ पत्नि सोहनलाल, जाति खटीक, निवासी ग्राम नोहरिया, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर हाल निवासी मण्डावरी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. मदनलाल जायन्दा पुत्र मूला दत्तक पुत्र स्व0 जगन्नाथ, जाति खटीक, निवासी ग्राम नोहरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. मु0 मूली देवी पत्नि स्व0 जगन्नाथ, जाति खटीक, निवासी ग्राम नोहरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, किशनगढ़ ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 13.11.2019 अंतर्गत वाद संख्या 148/2008.

उपस्थितः—

1. श्री इन्द्रेश रामचंदानी, वकील अपीलांट ।
2. श्री छीतरमल टेपण, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर सिंह चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः— 05.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीया/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2 रकबा 3—6—00 एवं खसरा नंबर 360/683 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13—06—00 भूमि वाके ग्राम नोहरिया, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है । उपरोक्त वर्णित भूमि में वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है । उक्त वर्णित भूमि मृतक जगन्नाथ के नाम राजस्व रिकार्ड में इंद्राज थी । यह भूमि विरासत की है तथा जगन्नाथ के मरणोपरान्त सहवन से मदनलाल पिता जगन्नाथ एवं मूली बैवा जगन्नाथ के नाम राजस्व रिकार्ड में इद्रांज हो गई, जबकि वादिया जगन्नाथ की पुत्री है एवं वादिया का भी उक्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार हिस्सा है । राजस्व रिकार्ड में इद्रांज नहीं होने

का फायदा उठा कर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मिलकर भूमि का बेचान करने पर आमादा है । वादकारण दिनांक 11.7.2018 को उत्पन्न हुआ । अतः वादिया द्वारा वाद वर्णित भूमि में वादिया को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी विभाजन की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पारित करने, दिनांक 19.9.1998 को तहसीलदार द्वारा दर्ज नामांतकरण संख्या 233 को शून्य घोषित किया जाकर निरस्त किये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वाद वर्णित आराजी में किसी को बेचान, रहन, बख्शीश, दान, वसीयत नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2019 द्वारा वादिया/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात ग्राम नोहरिया, तहसील किशनगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 2 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 360/683 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा अपीलांट के पिता जगन्नाथ पुत्र बोदू के अधिकार की थी । उपरोक्त जगन्नाथ पुत्र बोदू का हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के प्रभाव में आने के पश्चात् देहांत हुआ था । राजस्व अधिकारियों ने जगन्नाथ के देहांत के बाद नामांतकरण संख्या 233 दिनाक 19.9.1998 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम गलत रूप से विरासत का नामांतकरण दर्ज किया है जबकि अपीलांट उपरोक्त जगन्नाथ की हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस, उत्तराधिकारी है । अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 जगन्नाथ पुत्र बोदू का दत्तक पुत्र नहीं है न ही रेस्पो0 संख्या 1 को कभी रेस्पो0 संख्या 2 एवं जगन्नाथ पुत्र बोदू ने कभी भी दत्तक ग्रहण नहीं किया था किन्तु अपीलांट ने इस पहलू पर अधिक विवाद नहीं करते हुए स्वंय के 1/3 हस्से के बाबत् अधिकार घोषणा का अनुतोष चाहा था । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण ने वादीया के वाद बाबत् कोई आक्षेप नहीं किया था। वादिया ने अधी0न्याया0 के समक्ष स्वंय के मुख्य परीक्षण में साक्ष्य लेखबद्ध करावाने के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिस्वरूप अपीलांट के विरासत का नामांतकरण प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 प्रदर्श–2, गिरदावरी संवत् 2062 से 2065 प्रदर्श–3 चिन्हित करवाई है । वादिया से प्रतिवादी ने यह जिरह की है कि यह सही है कि वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित सजरा अनुसार स्व0 जगन्नाथ के मूली पत्नी तथा लाली पुत्री है तथा मदनलाल दत्तक पुत्र है । इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण में अधी0न्याया0 के समक्ष यह स्वीकृत पहलू था कि वाद अधीन भूमि जगन्नाथ पुत्र बोदू के अधिकार मिल्कियत की है एवं यह पहलू भी स्वीकृत था कि जगन्नाथ पुत्र बोदू की अपीलांट पुत्री है । इस परिपेक्ष्य में अधी0न्याया0 के समक्ष यह स्पष्टतः साक्ष्य प्रमाण उपलबध थी कि वाद अधीन भूमि अपीलांट की पुश्तैनी अधिकार की मिल्कियत होकर जगन्नाथ पुत्र बोदू का निर्वसीय देहांत होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के अनुसार अपीलांट पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होकर वाद अधीन भूमि में राज0काश्त0अधि0 की धारा 40 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के तहत अधिकार रखती है एवं नामांतकरण संख्या 233 दिनाक 19.9.1998 त्रुटियुक्त रूप से दर्ज किया गया है किन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश में अपने स्तर पर नवीन प्रकरण बनाकर अपीलांट का वाद सरसरी तौर पर स्वप्रेरणा से

प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 6 के अधीन अपीलांट के अधिकार वाद अधीन भूमि में नहीं मानते हुए वाद खारिज किया है निरस्तनीय है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के अनुसार पुत्रियां भी पुत्रों के समान अपने पिता की सम्पति में प्रथम श्रेणी की वारिस उत्तराधिकारी होकर समान अनुपात में हक, हिस्सा रखती है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 से कभी भी पुत्री को अपने निर्वसीयती पिता की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकारिता से वंचित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 का आदेश प्रथम दृष्टया ही निरंकुश, एकपक्षीय, मनमाना एवं विधि से त्रुटियुक्त है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रत्यथी/प्रतिवादीगण की कोई साक्ष्य नहीं थी बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 ने तो यह जिरह में प्रश्न किया था कि जगन्नाथ बोदू की वंशावली में तीन विधिक वारिसान है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचन एवं साक्ष्य से परे जाकर अपने आप में नवीन प्रकरण बनाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय स्वंय के स्तर पर अभिवचनों से बाहर जाकर नवीन प्रकरण नहीं बना सकती है। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि उपरोक्त जगन्नाथ पुत्र बोदू के विरासत का नामातकरण संख्या 233 दिनांक 19.9. 1998 को दर्ज किया जा चुका है इस कारण वादिया के उपरोक्त सम्पति में हित, अधिकार सृजित नहीं रहते है । जबकि नामांतकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रकाश विरूद्ध फूलवती में प्रतिपादित सिद्धांत को दृष्टिगत कर अपीलांट को अपने पिता के अधिकार की सम्पति से वंचित किया है । जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश बनाम फूलवती में प्रतिपादित न्यायिक निर्णय के पश्चात्र्ती न्याय निर्णय 2018 (1) सीजे (सिविल)(सुप्रीम कोर्ट) पेज 145 में स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया है किः– '' Hindu Succession Act, 1956-Sec. 6 (As amended in year 2005)-Scope_Whether the appellant-daughter can be their shares on the ground that they were born prior to enactment of the Act, and, therefore, cannot be treated as coparceners ?- Held, no - After passing of Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, they would become coparcener 'by birth' in their "own right " in the same manner as the sons are entitled to equal share as that of son '' इस पश्चात्वर्ती दृष्टांत में प्रकाश बनाम फूलवती के दृष्टांत को विवेचित किया गया है । जगन्नाथ पुत्र बोदू के देहावसान पश्चात् उपरोक्त अपील अंतर्गत भूमि का न तो विभाजन हुआ है, न ही अंतरण हुआ है । यद्यपि धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रभावी नहीं होते है किन्तु इसके साथ–साथ नामांतकरण संख्या 233 के अधीन दर्ज भूमि का विभाजन एवं अंतरण नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में वर्णित प्रकाश बनाम फूलवती के सिद्धांत हस्तगत प्रकरण पर प्रभावी नहीं होते है । स्वंय उपरारेक्त दृष्टांत में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि '' Rights under the amendment are applicable to living daughters of living coparceners as on 9th September, 2005 irrespective of when such daughters are born '' उपरोक्त परिपेक्ष्य में अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2019 निरस्त किया जावे तथा वादिया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर वादिया/अपीलांट को विवादित आराजियात में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2020 (2) (सुप्रीम कोर्ट) पेज 817, 2018 (1)सीजे (सिविल) (सुप्रीम कोर्ट) पेज 145, 2016 (2)(एस.सी.सी.) पेज 36 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादिया के पिता की विरासत सन् 2005 से पूर्व खुल चुकी है इसलिये वादिया/अपीलांट को विवादित आराजियात में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादिया/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजियात मृतक जगन्नाथ की खातेदारी की आराजियात थी। वादिया/अपीलांट मृतक जगन्नाथ की पुत्री है जिससे उसका पैतृक आराजियात में 1/3 हिस्सा निहित है किन्तु विवादित आराजियात खातेदार जगन्नाथ की मृत्यु उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई । अतः वाद स्वीकार कर वादिया/अपीलांट को विवादित आराजियात में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध एक्जी. 2 जमाबंदी ग्राम नोहरिया, तहसील किशनगढ़ के खाता संख्या नया 102 पुराना 31 के खसरा नंबर 2 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 360/683 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 233 दिनांक 19.9.1998 से मदनलाल पि0 जगन्नाथ एवं मु0 मूली बैवा जगन्नाथ कौम खटीक सा0देह खातेदार दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात का मूल खातेदार मृतक जगन्नाथ था। वादिया/अपीलांट ने स्वंय को मृतक खातेदार जगन्नाथ की पुत्री होने के आधार पर स्वंय को मृतक खातेदार का विधिक वारिसान होना बताते हुए 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार होना बताया है । प्रतिवादीगण ने जवाब दावे में अपीलांट को मृतक खातेदार की पुत्री होने से इंकार नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट है कि वादिया/अपीलांट खातेदार की पुत्री होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादिया से प्रतिवादी ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित सजरा अनुसार स्व0 जगन्नाथ के मूली पत्नी तथा लाली पुत्री है तथा मदनलाल दत्तक पुत्र है । खातेदार जगन्नाथ पुत्र बोदू का निर्वसयती देहांत होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के अनुसार अपीलांट पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होकर वाद अधीन भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के तहत अधिकार रखती है । अधी0न्याया0 ने वादिया का वाद हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 6 के तहत खारिज किया है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश बनाम फूलवती में प्रतिपादित न्यायिक निर्णय के पश्चात्र्ती न्याय निर्णय 2018 (1) सीजे (सिविल)(सुप्रीम कोर्ट) पेज 145 में स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया है किः– '' Hindu Succession Act, 1956-Sec. 6 (As amended in year 2005)-Scope_Whether the appellant-daughter can be their shares on the ground that they were born prior to enactment of the Act, and, therefore, cannot be treated as coparceners ?- Held, no - After passing of Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, they would become coparcener 'by birth' in their "own right " in the same manner as the sons are entitled to equal share as that of son '' इस पश्चात्वर्ती दृष्टांत में प्रकाश बनाम फूलवती के दृष्टांत को विवेचित किया गया है । जगन्नाथ पुत्र बोदू के देहावसान पश्चात्

उपरोक्त अपील अंतर्गत भूमि का न तो विभाजन हुआ है, न ही अंतरण हुआ है । धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रभावी नहीं होते है किन्तु इसके साथ–साथ नामांतकरण संख्या 233 के अधीन दर्ज भूमि का विभाजन एवं अंतरण भी नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में वर्णित प्रकाश बनाम फूलवती के सिद्धांत हस्तगत प्रकरण पर प्रभावी नहीं होते है । स्वंय उपरारेक्त दृष्टांत में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि '' Rights under the amendment are applicable to living daughters of living coparceners as on 9th September, 2005 irrespective of when such daughters are born '' उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादिया/अपीलांट मृतक खातेदार की पुत्री होकर उसका विवातिद आराजियात में 1/3 हक व अधिकार निहित है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में पारित सिद्धांतों के विपरीत वादिया का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2019 निरस्त किया जाता है तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादिया/अपीलांट को ग्राम नोहरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर के खसरा नंबर 2 रकबा 3–6–00 बीघा एवं खसरा नंबर 360/683 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13–06–00 में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि वे तहसीलदार, किशनगढ़ से वादग्रस्त आराजियात के संबंध में कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर बाई मिट्स एण्ड के विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करे । साथ ही प्रतिवादीगण को इस स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद किया जाता है कि वे वादिया/अपीलांट के 1/3 हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, वादिया को विवादित आराजियात से बेदखल नहीं करे तथा बिना विधिक बंटवारा हुए विवादित आराजियात का बेचान, हस्तातंरण इत्यादि नहीं करे । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर